Appointment of Medical Officers in CGHS (Homoeopathy)

1194. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government had conducted interview for the appointment of Medical Officers in Homoepathic stream under CGHS in the month of February this year;.

(b) if so, the names of Medical Officers selected for appointment in Homoeopathy under CGHS;

(c) whether the said Medical Officers have since been given appointment letters;

(d) if so, since when, and if not, the reasons therefor;

(e) whether keeping in view the steep shortage of Medical Officers in Homoeopathy in CGHS, Government propose to appoint them immediately and also take action against those who are deliberately trying to delay the issue; and

(f) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) and (b) The Union Public Service Commission held the interviews for selecting candidates to the posts of Medical Officer (Homoeopathy) between 19th to 28th Feb., 1996 and recommended the following candidates for appointment to the post in question;

(i) Dr. P. Kameshwar Rao
(ii) Dr. Ashish Kumar Mandal
(iii) Dr. Abhijit Chattopadhyay
(iv) Dr. Sangeeta A. Duggal
(v) Dr. Pran Ranjan Halder
(iv) Dr. Madan Mohan R.

(c) and (d) After completing the administrative formalities, offer of appointment to the recommended candidates have since been made in October, 1996.

(e) and (f) These officers will be allowed to join the post of Medical Officer (Homoeopathy) on receipt of their letter of acceptance and on completion of verification of their charracter and antecedents and medical examination.

जीवन बीमा निगम के राजकोट मंडल में अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति

1195. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम के राजकोट मंडल में अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार को राजकोट में जीवन बीमा निगम में अधिकारियों/कर्मचारियों के काफी समय तक रहने की जानकारी है;

(ग) क्या उन्हें गुजरात से अन्य राज्यों में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(ङ) यदि नहीं, तो उनको राजकोट में लम्बे समय तक रखने के क्या कारण है; और

(च) सरकार ने लम्बे समय से वहां काम करने वाले कर्मचारियों को स्थानान्तरण करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि स्थानान्तरण नीति, जो राजकोट मंडल सहित सभी मंडलों के लिए एक समान है, में कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न मानदंड है। इसकी स्थानान्तरण नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है:—

(i) सामान्यतः श्रेणी III और IV के कर्मचारियों का स्थानान्तरण शाखाओं की आवश्यकता, कर्मचारियों के व्यक्तिगत अनुरोधों और प्रौन्नति पर आधारित होता है।

(ii) विकास अधिकारी के रूप में ज्ञात श्रेणी II के कर्मचारी सामान्यतः स्थानान्तरित नहीं किए जाते हैं।

(iii) प्रशासनिक अधिकारी के स्तर तक के श्रेणी -I के अधिकारियों का स्थानान्तरण एक ही मंडल के